

कार्य आरम्भ न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.600 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल :-	3.300 है०
सिविल भूमि का क्षेत्रफल :-	0.300 है०
कुल योग :-	3.600 है०

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत, भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रस्तावित मोटर मार्ग पर अभी किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश